

सेवा में,

महाप्रबंधक (CP)

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

सौदामिनी, प्लॉट सं. 2 सेक्टर 29

गुड़गांव 122001.

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मेरे दिनांक 07.05.2014 को ब्यौरा उपलब्ध कराने के संबंध में।

1. आपका ध्यान कृपया मुख्य प्रबंध निदेशक, पावर ग्रिड निगम लिमिटेड, गुड़गांवको सम्बोधित मेरे दिनांक 27.05.2014 की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा उक्त पत्र में उल्लिखित **Power Grid Resettlement Relief Rehabilitation and Compensation Policy Part IV** के खण्ड B के I के आधार पर मेरे दावे की राशि के भुगतान की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किन प्रावधानों के तहत उक्त जमीन पर बिजली का खंभा गाड़ा जा रहा है (कृपया प्रति उपलब्ध कराएं)।
3. खंभा गाड़ने के दौरान जमीन खुदाई के समय बिखरे पत्थर/मिट्टी को यथावत समतल करने की जिम्मेवारी किसकी होगी।
4. यदि यह जिम्मेवारी भूस्वामी की है तो इतने दिनों तक उक्त जमीन के लिए फुटी कौड़ी भी क्षतिपूति/मुआवजे के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। क्षतिपूति भुगतान न करने का कारण ?

अतः आप से कर्बद्ध प्रार्थना है कि उक्त मदों पर अपनी मदवार अभियुक्तियों देने का महान कृपा करें।

इसके लिए भारतीय पोस्टल आर्डर सं.12G 182594 दिनांक 19.11.2014 संलग्न है।

भवदीय

(प्रेमचंद डंग)

ग्राम - हतनन्दा
डाकघर - हाटिंगहोडे
जिला - सिमडेगा
पिन - 835201